SUPREME COURT REPORTS {2006} SUPP. 7 S.C.R.

राजस्थान राज्य

बनाम्

सरजीत सिंह एवं अन्य

अक्टूबर 19, 2006

राजस्थान के गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए 'जल प्रद्योत योजना' के नाम से एक योजना बनाई गई थी। राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को इसकी लागत में समान रूप से योगदान देना था। इस योजना को 07.11.1997 तक पूरा किया जाना था संबंधित ग्राम पंचायत ने 19.09.1996 के प्रारंभ में छह माह की अवधि के लिए उक्त योजना के तहत प्रतिवादी संख्या-1 को पंप चालक के रूप में नियुक्त किया। इनके रोजगार की अवधि समय-समय पर 07.11.1997 तक बढ़ाई गई, जिस दिन योजना समाप्त हुई और प्रतिवादी संख्या-1 की सेवा समाप्त हो गई। प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने नियमन के लिए श्रम कल्याण एवं सुलह अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया। बाद में उन्होंने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर किया, जिसमें सेवा की निरंतरता और 30 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ उनके बहाली का निर्णय पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि सेवा समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 जी और 25 एच के प्रावधान अनिवार्य थे यहां जिसका अनुपालन नहीं किया गया। राज्य सरकार ने एक रिट याचिका में उक्त निर्णय को असफल रूप से चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष अंतर न्यायालय में भी एक वर्तमान अपील दायर की।

अपील को स्वीकार किया गया तथा न्यायालय ने पाया कि-

आयोजित 1.1- यद्यपि श्रम न्यायालय के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11-A के संदर्भ में राहत देने का क्षेत्राधिकार है, लेकिन इसके तहत शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप में किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले मे प्रतिवादी संख्या-1 को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक योजना के तहत नियुक्त किया गया था । यह तथ्य विवादित नहीं हैं कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए थी। उनके दोहरे नियोक्ता होने की अवधारणा हालांकि औद्योगिक न्यायालय में अज्ञात नही हो सकती, लेकिन श्रम न्यायालय ने यह मामने में खुद को निर्देशित किया की अपीलकर्ता / आवेदक द्वारा उनकी सेवाओं की समाप्ति गैर कानूनी थी, जो की धारा 25 जी और 25 एच का उल्लंघन है। यदि ग्राम पंचायत योजना के प्रबंधन में थी तो नियोक्ता पंचायत होती न कि राज्य वास्तव में प्रतिवादी संख्या-1 ने दोनो को पक्षकार बनाया। श्रम न्यायालय और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय मामले के इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने में विफल रहे । [621-A-C]

नगर निगम समराला बनाम राजकुमार [2006] 3 एस. सी. सी. 81 नगर निगम समराला बनाम सुखविन्दर कौर [2006] 7 स्केल 614 एवं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाम सुभाशचन्द्र एवं अन्य [2006] 2 स्केल 614 रिलायड एस. एम. निलाजकर और अन्य बनाम दूरसंचार जिला प्रबंधक कनार्टक [2003]4 एस. सी. सी 27 में उल्लेखित किया गया.

1.2- यह मानते हुए कि प्रतिवादी संख्या-1 की सेवाओं को समाप्त करने में अधिनियम की धारा 25 जी और 25 एच का उल्लंघन हुआ। हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं हैं लेकिन किसी भी

स्थिति में इसका मतलब यह नहीं होगा कि श्रम न्यायालय को स्वचालित रूप से पिछले वेतन के साथ सेवा में बहाली का निर्णय पारित करना चाहिए था। [621-F]

मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अर्जुन लाल रजक [2006]2 SCALE 610 उल्लेखित किया गया

2. हालांकि न्यायालय आमतौर पर विवादित अवार्ड और इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के फैसले को रदद् कर देता, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राज्य को प्रतिवादी संख्या-01 को 30,000 /- रूपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। [621-F-G]2

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 4551 / 2006 जोधपुर डबल बेन्च सिविल अपील संख्या 154 / 2005 मे राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 02/05/2005 कुमार कार्तिकेय और अरूनेश्वर गुप्ता- अपीलकर्ता की ओर से एस. एन. त्रिवेदी, डी.पी. मुखर्जी और नन्दनी सेन उतरदाता की ओर से अदालत का फैसला न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने सुनाया

राजस्थान राज्य ने गांवो में पानी की आपूर्ति के लिए एक योजना बनाई जिसे जल प्रद्योत योजना के नाम से जाना जाता है। राज्य को कुल लागत का 50 प्रतिशत योगदान देना था जबकि शेष 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाना था। इस योजना के तहत इन्द्रागढ़ की ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी संख्या-1 सहित कई व्यक्तियों को पंप चालक के रूप में नियुक्त किया। उन्हें प्रारंभ में छह माह की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति कि अवधि समय-समय पर बढाई जाती रही। कुल अवधि जिसके दौरान प्रतिवादी संख्या-1 कार्यरत रहा. वह 19.09.1996 से 07.11.1997 तक थी। यह योजना 07.11.1997 तक पूरी होनी थी। जैसे ही योजना समाप्त हुई, प्रतिवादी संख्या-1 की सेवाएं समाप्त कर दी गई। उन्होने श्रम कल्याण और सुलह सेवाओं को नियमित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग ने अन्य बातो के साथ-साथ यह तर्क प्रतिवादी संख्या-1 को उसके द्वारा कभी नियुक्त नही किया गया था और वास्तव में ग्राम पंचायत, इंद्रगढ़ के सरपंच द्वारा नियुक्त किया गया था ।

यहां प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा औद्योगिक न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करके एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था। दिनांक 09.05.2002 के एक अवार्ड द्वारा यह माना गया कि प्रतिवादी संख्या - 01 की सेवाओं को समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 जी और 25 एच की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नही किया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय द्वारा सेवा की निरंतरता के साथ बहाली का एक पुरस्कार पारित किया गया। हालांकि प्रतिवादी संख्या-1 को पिछली मजदूरी का केवल 30 प्रतिशत का हकदार घोषित किया गया था। उपरोक्त निर्णय देते समय श्रम न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा :

1. प्रतिवादी संख्या-1 ने 13 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत की और ग्राम पंचायत के साथ-साथ विभाग ने उसके मजदूरी का भुगतान किया।
2. उन्होने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। चूंकि उनकी सेवाएं एक लिखित नोटिस द्वारा समाप्त कर दी गई थी इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 जी और 25 एच के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

अपीलकर्ता द्वारा दायर एक पुनः याचिका को उच्च न्यायालय के प्रथम एकल न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया।

इसमें कोई विवाद नही है कि काम करने वाले कर्मचारी ने 240 दिनो से अधिक काम किया था, क्योंकि उसने 19.09.1996 से 07.11.1997 तक काम किया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि श्रमिक को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (00) (bb) के प्रावधानो के मदेनजर उनका निष्कासन छंटनी के समान नही है। हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता किसी भी दस्तावेज को इंगित नहीं कर सके जिससे धारा 2 (oo) (bb) की आवश्यकताओं को स्थापित किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक इंट्रा कोर्ट अपील में उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की।

गांवों में पानी की आपूर्ति की योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग और ग्राम पंचायत के माध्यम से राजस्थान राज्य की एक संयुक्त योजना थी। यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नही है कि प्रतिवादी संख्या-1 को राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। इसमें कोई विवाद नही है कि उन्हें शुरू में छह महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और वह भी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग ने उनके वेतन का भुगतान जारी किया होगा। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा की नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध अस्तित्व में आया है।

इसके अलावा प्रतिवादी संख्या-1 को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएं जारी रह सकती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि योजना पूरी होने तक यह लागू रहेंगी ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में हम औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा - 2 (00) (bb) में निहित "छंटनी" अधिनियम की परिभाषा पर ध्यान दे सकते हैं, जो निम्नलिखित शब्दों है।

2 (00) छंटनी का अर्थ है नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की सेवा को किसी भी कारण से समाप्त करना, अनुशासनात्मक कार्यवाई के माध्यम से दी गई सजा के अलावा, लेकिन इसमें शामिल नहीं है।

" (bb) के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवा की समाप्ति, नियोक्ता और संबंधित कामगार के बीच रोजगार के अनुबंध की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण न होना या उसमें निहित शर्त के तहत ऐसे अनुबंध को समाप्त किया जाना:-

यह एक ऐसा मामला है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा के 2(00) के खण्ड (bb) को आकर्षित करता है।

नगर परिषद सामान्य बनाम राज कुमार 2006 एस०सीसी 81 यह था समायोजित ।

“अपीलकर्ता एक नगर परिषद है तथा कानून के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले और उनकी सेवाओं के नियम और शर्ते निर्विवाद रूप से संबंधित नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत गठित सभी नियमों द्वारा शासित होती है । इसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर परिषद में रोजगार से संबंधित मामला वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए और नियुक्ति की ऐसी पेशकश उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। विचाराधीण एजेण्डा को अपेक्षित दिशानिर्देश प्राप्त करने की दृष्टि से कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था, जिसके लिए उक्त पत्र लिखा गया था। अनुबंध के आधार पर ऐसी नियुक्ति का कारण उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है अर्थात् एक पद रिक्त था और दो कर्मचारी छुट्टी पर थे और उस दृष्टि से इस मामले में परिषद में एक व्यक्ति की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता थी। इस प्रकार

तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाता को नगर परिषद द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया गया।

हमने यहां पहले देखा है कि प्रतिवादी समझता था कि उसकी नियुक्ति अल्पकालीन होगी। उन्होनें यह भी समझा की उनकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती है क्योंकि यह अनुबंध के आधार पर था । जैसा की यहां पहले देखा गया है इस मामले को ध्यान में रखते हुए ही उन्होनें एक हलफनामें की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि समराला की नगर परिषद उनकी सेवाओं से मुक्त हो सकती है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।

नगर परिषद समराला बनाम् सुखविन्दर कौर (2006) 7 SCALE 614 में इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय का पालन किया गया है जिसमें प्रतिवादी को नियुक्ति की पेशकश निम्नलिखित शर्तों में थी ।

"कार्यालय नगर परिषद, समराला (लुधियाना)"

कार्यालय आदेश संख्या-588, दिनांक 06.11.1995

दिनांक 06.11.1995 को आदेश दिनांक 06.11.1995 द्वारा आपको संविदा के आधार पर निर्धारित दर पर लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। सरकार के निर्देशानुसार 1000/- प्रति माह, यह पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। इस पद के खिलाफ कोई भी दबाव नहीं डालेगा तथा कार्यकारी अधिकारी को बिना कोई नोटिस जारी किए आपको बर्खास्त करने का अधिकार है । कार्यालय द्वारा जारी सभी नियम एवं शर्तें आपको स्वीकार होगी।

ह. / कार्यकारी अधिकारी,

नगर परिषद, समराला

नियुक्ति का ऐसा प्रस्ताव अधिनियम की धारा 2 (00) (bb) को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया था।

प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने एस०एम० निलाजकर एवं अन्य बनाम दूरसंचार जिला प्रबंधक, कर्नाटक - (2003) 4 एस०सी०सी० 27 / उक्त निर्णय को राज कुमार (सुप्रा) के कथन में, इस न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति में समझाया और लागू किया गया था।

"एस०एम०निलाजकर बनाम् दूरसंचार जिला प्रबंधक के मामले में इस न्यायालय में फैसले में जिस पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने मजबुत भरोसा जताया है. यह न्यायालय उसमें प्राप्त होने वाली एक भिन्न तथ्यात्मक स्थिति से चिंतित था। उस मामले में कर्मचारियों के अवशोषण के लिए एक योजना खुदाई केबल बिछाने, खम्भे खड़े करने, रेखाएं खिंचने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था जो 01.10.1989 से लागू हुआ था और केवल उनलोगों ने सहायक श्रम आयुक्त मैंगलोर के समक्ष विवाद उठाया, जिसके नाम उक्त योजना के तहत नियमितीकरण के लिए शामिल नहीं किए गये थे। सहायक श्रम आयुक्त मैंगलोर, दूरसंचार जिला प्रबंधक, बेलगाम के प्रबंधक द्वारा आकस्मिक मजदूरों की सेवाओं की समाप्ति पर धारा-10 औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त सरकार द्वारा किए गए संदर्भ में सवाल उठाया गया। यह न्यायालय उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए की अपीलकर्त्ता एक विशेष प्रकार के काम में लगा हुआ था अर्थात् परियोजना में खुदाई केबल बिछाने, खम्भे खड़े करने, रेखाएं खिंचने और

अन्य जुड़े कार्यों में लगा हुआ था । बेलगाम जिले में दूरसंचार कार्यालय के विस्तार का उद्घाटन किया गया।

"13 किसी योजना में लगे कर्मचारी की सेवा समाप्ति या परियोजना निम्नलिखित शर्तो के पूरा होने पर उपखण्ड (bb) के अर्थ में छटनी की श्रेणी में नहीं आ सकती है।

1. कि कर्मचारी अस्थायी अवधि की किसी परियोजना या योजना में लगा हुआ था ।
2. रोजगार एक अनुबंध पर था न की दैनिक मजदूरी के रूप में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था कि रोजगार योजना या परियोजना की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।
3. योजना या परियोजना की समाप्ति के साथ-साथ और अनुबंध के शर्तो के अनुरूप रोजगार समाप्त हो गया।
4. काम के प्रारंभ में न्योक्ता द्वारा श्रमिकों को उपरोक्त शर्तों से अवगत कराया जाना चाहिए।

राज कुमार (सुप्रा) का भी इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाम् सुभाष चन्द्र एवं अन्य (2006) 2 में अनुसरण किया गया है।

"अपीलकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादी को गेहूं सीजन या धान सीजन के दौरान नियुक्त किया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलकर्त्ता पंजाब और हरियाणा कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, निर्विवाद रूप से बोर्ड द्वारा बाजार समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं के नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए नियम बनाये गए हैं।नियुक्ति की पेशकश का एकमात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाता हैं कि नियुक्ति की गई थी अनुबंध के आधार पर बताया गया। यह ऐसा मामला नहीं था जहां एक कर्मचारी को केवल एक दिन के कृत्रिम अंतराल के साथ लगातार नियुक्त किया गया था, निर्विवाद रूप से प्रतिवादी को काफी अवधि के बाद अनुबंध के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त करने के बाद फिर से नियोजित किया गया था ।

अधिनियम का अध्याय VA लागू होगा या नहीं यह सवाल इस मुद्दे पर निर्भर करेगा कि छंटनी का आदेश अधिनियम की धारा-2(00) (bb) में निहित अपवाद के मद्देनजर सेवा में कोई छंटनी नहीं है इसके अध्याय VA की प्रयोज्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यद्यपि श्रम न्यायालय के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा- 11 / ए के संदर्भ में राहत देने में विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है लेकिन उसके तहत शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप में किया जाना चाहिए। यहां प्रतिवादी संख्या-1 को एक योजना के तहत नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति एक खास मकसद से की गई थी यह तथ्य विवादित नहीं है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति छह माह की अवधि के लिए थी। हालांकि दोहरे नियोक्ता होने की अवधारणा औद्योगिक न्यायशास्त्र में अज्ञात नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी राय में श्रम न्यायालय ने यह मानकर खुद को गलत दिशा दी है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उसकी सेवाओं की समाप्ति धारा - 25 जी और 25 एच का उल्लंघन करते हुए अवैध थी, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत । यदि ग्राम पंचायत योजना के प्रबंधन में थी तो नियोक्ता पंचायत होगी न कि राज्य! दरअसल प्रतिवादी संख्या-1 ने उन दोनों को पक्षकार बनाया है विद्वान श्रम न्यायालय और परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में असफल रहें ।

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम् अर्जुन लाल रजक (2006) 2 SCALE 610 इस न्यायालय की राय ।

"हालांकि यह सच है कि प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करते समय अपीलकर्त्ताओं ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा-25 जी और 25 / एच की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया था और इस प्रकार आमतौर पर कामगार को बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता था या बकाया वेतन के बिना, लेकिन यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि एक परियोजना या एक योजना या एक कार्यालय को ही समाप्त कर दिया जाता है, बहाली के माध्यम से राहत नहीं दी जाती है।

प्रतिवादी संख्या -1 की सेवाओं को समाप्त करने में हम मानेगें की धारा-25 जी और 25 एच का उल्लंघन हुआ है हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है लेकिन किसी भी घटना में इसका मतलब यह नहीं होगा कि श्रम न्यायालय को ऐसा करना चाहिए। स्वचयनित रूप से बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाली का निर्णय पारित कर दिया है हालांकि हम आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित अवार्ड और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर देते, हम राज्य को रूपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। प्रतिवादी सं0 1 को 30,000/-रू0 का यह भुगतान इस तारीख से आठ सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा उस पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। पार्टियों अपनी लागत का भुगतान और वहन स्वयं करेगी।

राम कुमार लाल गुप्ता,

न्यायिक दण्डाधिकरी, प्रथम श्रेणी,

राँची